परीक्षा समिति की बैठक दिनांकः 16.01.2014 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 16.01.2014, दिन गुरूवार को अपराह्न 03:30 बजे सेण्टर फॉर एकेडिमिकस भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहें :–

1.	प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	डॉ0 ए0एस0 भटनागर, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, वी0एस0एस0डी0 कालेज, कानपुर।	सदस्य
3.	डॉ0 मुनेश कुमार, उपाचार्य, शिक्षक–प्रशिक्षक विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
4.	डॉ0 संजय स्वर्णकार, उपाचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
5.	डॉ0 संदीप सिंह, उपाचार्य, प्रौढ़ सतत शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
6.	डॉ0 बेबी रानी अग्रवाल, प्राचार्या, जुहारी देवी गर्ल्स डिग्री कालेज कानपुर।	सदस्य
7.	प्रो0 आर0सी0 कटियार, आचार्य, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्या
8.	प्रो0 पी0के0 कुश, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
9.	डॉ0 देवेन्द्र अवस्थी, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
10.	श्री सय्यद वकार हुसैन, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

माननीय कुलपति जी ने सदस्यों का स्वागत करते हुए परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए :–

1. **परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनांक 30.11.2013 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टिकरण पर विचार :–**

परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनांक 30.11.2013 के कार्यवृत्त को परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया।

2. **सत्र 2013–14 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा के परीक्षा–कार्यक्रम पर विचार :–**

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सत्र 2013–14 की संस्थागत परीक्षाएं पूर्व घोषित शैक्षिक पंचाग के अनुसार दिनांक 04 मार्च, 2014 से प्रारम्भ कर सम्पन्न करा ली जाय तथा उक्त सत्र की व्यक्तिगत परीक्षाओं का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाय। परीक्षा समिति ने संस्थागत परीक्षा 2013–14 के विस्तृत परीक्षा–कार्यक्रम को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

3. **सत्र 2013–14 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा हेतु नोडल केन्द्र/परीक्षा केन्द्र बनाने पर विचार :–**

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जिन नोडल केन्द्रों के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई हो उनको नोडल केन्द्र न बनाया जाय तथा किसी भी ऐसे स्ववित्तपोषित महाविद्यालय को नोडल केन्द्र न बनाया जाय जो 05 वर्ष से कम अवधि तक संचालित रहा हो। किसी भी स्ववित्तपोषित महाविद्यालय को स्वयं का अकेले नोडल केन्द्र न बनाया जाय। महाविद्यालयों की सुविधा हेतु उनको इस आशय का पत्र प्रेषित कर दिया जाय कि वह अपने निकटतम नोडल केन्द्र की सूचना विश्वविद्यालय को पत्र के माध्यम से विलम्बतम दिनाक 05 फरवरी, 2014 तक उपलब्ध करा दें। कुलसचिव ने अवगत कराया कि "Uttar Pradesh Universitys (Provisions regarding Conduct of examination) Act, 1965 (U.P. Act. XXIV) of 1965 as amended by the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973." की धारा 2–सी के अनुसार किसी भी परीक्षा केन्द्र में केन्द्राध्यक्ष व अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति किए जाते है। उक्त व्यवस्था के आलोक में सम्बन्धित महाविद्यालयों को पत्र प्रेषित कर केन्द्राध्यक्ष/अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त कर विलम्बतम 15 फरवरी, 2014 तक सम्बन्धित की नियुक्ति किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया। साथ ही गतवर्षों में सामूहिक नकल में आरोपित महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाए जाने के सम्बन्ध में समिति की अगली बैठक में विचार किए किए जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा)

4. माह नवम्बर, 2013 में नवीन सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों/महाविद्यालयों की परीक्षा हेतु परीक्षा कार्यक्रम पर विचार :–

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 03.12.2013 की मद संख्या–श (अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) में लिए गए निर्णय के अनुसार ऐसे महाविद्यालयों, जिनकी सम्बद्धता की पूर्वानुमति शासन से माह नवम्बर, 2013 में प्राप्त हुई है, के छात्रों की परीक्षा माह अगस्त, 2014 में सम्पन्न करायी जानी है। सचिव ने यह भी अवगत कराया कि उक्त श्रेणी के महाविद्यालयों के कतिपय प्रबन्धकों ने अपने संयुक्त पत्र दिनांक 15.01.2014 के माध्यम से अनुरोध किया है कि उनके छात्रों की भी परीक्षा सत्र 2013–14 की संस्थागत परीक्षा की मुख्य परीक्षा के साथ सम्पन्न करा दी जाय।

उक्त तथ्यों के आलोक में प्रकरण पर परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जिन महाविद्यालयों को माह नवम्बर/दिसम्बर, 2013 में नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्राप्त हुई है (सेमेस्टर पाठ्यक्रमों को छोड़कर), उनसे महाविद्यालय में छात्रों की प्रवेशतिथि की सूचना प्राप्त कर ली जाय। तदोपरान्त प्रकरण को कार्यपरिषद की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

5. **कैम्पस में संचालित बीफार्मा छात्र की स्पेशल बैकपेपर परीक्षा कराये जाने पर विचार :–**

प्रकरण के सापेक्ष समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कैम्पस संचालित बीफार्मा पाठ्यक्रम के छात्र श्री अमर पुष्प सिंह सागर ने पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु विशेष बैकपेपर परीक्षा की सुविधा प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है।

प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सम्बन्धित छात्र को अन्तिम रूप से एक अवसर प्रदान करते हुए विशेष बैकपेपर परीक्षा की अनुमति प्रदान कर दी जाय। भविष्य में इसको उदाहरण न माना जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (सेमेस्टर परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

6. **सत्र 2012–13 के बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम के छात्रों की स्पेशल बैकपेपर परीक्षा कराये जाने पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि सत्र 2012–13 के बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम के छात्रों के परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित किए जाने के कारण उन्हें बैकपेपर परीक्षा में बैठने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त पाठ्यक्रम के कतिपय छात्रों ने विशेष बैकपेपर परीक्षा कराने का अनुरोध किया है।

उक्त प्रकरण पर परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उक्त सम्बन्धित बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम के छात्रों की सत्र 2012–13 की बैकपेपर परीक्षा सत्र 2013–14 की उक्त पाठ्यक्रम की मुख्य परीक्षा के साथ ही सम्पन्न करायी जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

7. **महात्मा बुद्ध महाविद्यालय, अझुवा, कौशाम्बी की सत्र 2012–13 के बी0एड0 पाठ्यक्रम की प्रायोगिकी सम्पन्न कराये जाने पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि पूर्व में महात्मा बुद्ध महाविद्यालय, अझुवा, कौशाम्बी की बी0एड0 पाठ्यक्रम की सत्र 2012–13 की प्रायोगिकी, भवन्स मेहता कालेज, भरवारी, कौशाम्बी में कराये जाने का निर्णय लिया गया था। किन्तु उक्त महाविद्यालय में अद्यतन सम्बन्धित प्रायोगिकी सम्पन्न नहीं हो सकी है।

समिति को यह भी अवगत कराया गया कि प्रकरण पर एक याचिका सं0–3532/2013 योजित की गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"Considering the submission made by parties counsel and looking into the fact that since the statutory rules have not been framed till date as such it is hereby provided that petitioner-institution shall be allowed to charge the fee to the tune of Rs. 73,562/- (66,000/- as tuition fee, 4562/- as CSJMU expenses, 2000/- as student welfare and 1000/- as registration amount). The difference of amount of fee on the basis of determination by the fee committee shall be deposited by the institution with the affiliating University with in a period of three weeks from the date of collection from the students.The same shall be subject to the decision so taken in the appeal."

उक्त तथ्यों के आलोक में प्रकरण पर परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए :–

i. माननीय न्यायालय द्वारा पारित संदर्भित आदेश के अनुपालन में जिन छात्र/छात्राओं ने निर्धारित शुल्क के अन्तर के बराबर की धनराशि महाविद्यालय में जमा कर दी हो, उनकी प्रायोगिकी सम्बन्धित महाविद्यालय में सम्पन्न करायी जाय।

ii. जिन अभ्यर्थियों ने उक्त शुल्क के अन्तर के बराबर की धनराशि महाविद्यालय में न जमा की हो वे अभ्यर्थी उक्त शुल्क विश्वविद्यालय में जमा कर दें। ऐसे अभ्यर्थियों की प्रायोगिकी, शुल्क जमा की रसीद महाविद्यालय में प्रस्तुत करने पर, सम्बन्धित महाविद्यालय में ही सम्पन्न करायी जाय।

iii. सम्बन्धित महाविद्यालय की 'शुल्क समिति' द्वारा निर्धारित शुल्कान्तर के बराबर की धनराशि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में तीन सप्ताह के अन्तर्गत जमा कर दी जाय।

iv. डॉ0 मुनेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं डॉ0 विजय जायसवाल, असिस्टैण्ट प्रोफेसर, शिक्षक–प्रशिक्षण विभाग विश्वविद्यालय परिसर को पर्यवेक्षक तथा सम्बन्धित महाविद्यालय के शिक्षकों को नियमानुसार आन्तरिक परीक्षक नियुक्त कर दिनांक 25 जनवरी, 2014 तक प्रत्येक दशा में उक्त प्रायोगिकी सम्पन्न करा ली जाय।

v. प्राचार्य, भवन्स मेहता कालेज, भरवारी, कौशाम्बी से इस आशय का स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाय कि सम्बन्धित प्रायोगिकी उनके महाविद्यालय में क्यों नहीं सम्पन्न करायी जा सकी ?

vi. समस्त बी0एड0 महाविद्यालयों से उक्त प्रकार की शुल्क, यदि कोई हो, को विश्वविद्यालय में जमा करने हेतु कहा जाय।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (अतिगोपनीय)

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :–

1. **जिन महाविद्यालयों में प्राचार्य व एक भी शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है उनमें केन्द्राध्यक्ष व अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किये जाने पर विचार :–**

100 से अधिक छात्र संख्या वाले ऐसे महाविद्यालयों में जहां प्राचार्य व एक भी शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है, वहां गतवर्ष की भाँति राजकीय/सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को वरीयता प्रदान करते हुए तथा आवश्यक होने पर स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के अनुमोदित शिक्षकों को भी केन्द्राध्यक्ष व अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर परीक्षा सम्पन्न करायी जाय। परीक्षा समिति ने यह भी निर्णय लिया कि महाविद्यालयों से 18 फरवरी, 2014 तक अनिवार्य रूप से केन्द्राध्यक्ष/अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष नियुक्त करा लेने हेतु कहा जाय। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालयों के छात्रों के प्रवेशपत्र निर्गत न किए जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

2. **जिन महाविद्यालयों में छात्र संख्या 100 से कम है तथा प्राचार्य व शिक्षक भी अनुमोदित नहीं है। उन महाविद्यालयों को समीपस्थ अन्य महाविद्यालयों में परीक्षा हेतु सम्बद्ध करने पर विचार :–**

उक्त प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने निम्नांकित निर्णय लिए :–

i. 100 से कम छात्र संख्या वाले महिला महाविद्यालयों की परीक्षा स्वकेन्द्र प्रणाली के अन्तर्गत मद सं0–01 (अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) पर अंकित व्यवस्था के अनुसार सम्पन्न करायी जाय।

ii. महिला महाविद्यालय से इतर उक्त श्रेणी के महाविद्यालयों की परीक्षा समीपस्थ राजकीय/सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में सम्पन्न करा ली जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा)

3. **परीक्षा केन्द्रों/नोडल केन्द्रो को निर्गत किए जाने वाले निर्देशों पर विचार :–**

परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त कुलसचिव महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए परीक्षा से सम्बन्धित महाविद्यालयों को प्रेषित किये जाने वाले परीक्षा सम्बन्धी निर्देशों पर अपनी सहमति प्रदान की।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा)

4. **श्री अनिक बेग व श्री नासिर अली, छात्र बी0यू0एम0एस0, अनुक्रमांक क्रमशः 7220452 व 7220491 देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, देवबन्द के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि उक्त प्रकरण पर परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 30.11.2013 की मद संख्या–5 में निर्णय लिया गया था कि सम्बन्धित छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित करने के सम्बन्ध में आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टमस् ऑफ मेडिसिन का अभिमत प्राप्त कर परीक्षा समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। प्रकरण पर डीन् आयुर्वेद एवं यूनानी संकाय, प्रो0 सुरेश चन्द्र, प्राचार्य, एस.आर. एम. राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, बरेली का अभिमत उनके कार्यालय के पत्र संख्या–कैम्प (कानपुर) दिनांक 16.01.2014 के माध्यम से प्राप्त हो गया। जो कि निम्नवत् है :–

"सन्दर्भित प्रकरण में प्रथम व्यावसायिक पूरक परीक्षा अथवा द्वितीय व्यावसायिक पूरक परीक्षा के साथ क्रमशः द्वितीय व्यावसायिक मुख्य परीक्षा अथवा अन्तिम व्यावसायिक मुख्य परीक्षा–2011 में एक साथ सम्मिलित अभ्यर्थी जो प्रथम व्यावसायिक पूरक परीक्षा अथवा द्वितीय व्यावसायिक पूरक परीक्षा वर्ष 2011 में पश्चात् वर्ष 2012 अथवा 2013 की परीक्षाओं के साथ उत्तीर्ण कर सके हैं, उनका द्वितीय व्यावसायिक मुख्य अथवा अन्तिम व्यावसायिक मुख्य परीक्षा परिणाम छात्रहित में वर्तमान में घोषित किया जाना समीचीन होगा। भविष्य में इसको उदाहरण न माना जाय।"

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से प्रकरण पर उपरिलिखित सम्बन्धित अधिष्ठाता के अभिमत को अनुमोदित करते हुए सम्बन्धित छात्रों का परीक्षा परिणाम उक्त अभिमत के अनुसार घोषित करने का निर्णय लिया ।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (अतिगोपनीय)/सिस्टम मैनेजर

5. **श्री देवांग अग्रवाल, छात्र बी0कॉम0 प्रथम वर्ष, सत्र 2013–14, क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर के पत्र दिनांक 08.01.2014 पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि सम्बन्धित छात्र ने उक्त पत्र के माध्यम से डी0एम0डी0 (Duchenne's muscular dystrophy) नामक बीमारी से पीड़ित होने के कारण परीक्षा केन्द्र में निम्नांकित सुविधाएं प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है :–

i. A wheelchair friendly center, which has no barriers (such as-stairs, narrow passage/doors).
ii. A writer for writing the exam, as his hands are very weak.
iii. Extra time of 1 hour for the written exam.
iv. Allowance of a physical and illiterate helper to be present with him for the whole duration of the exam. (for nature call, or picking up a fell down pen etc.)
v. A separate room on the ground floor with individual invigilator.

उक्त के क्रम में सचिव ने यह भी अवगत कराया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या–एफ–6–2/2013 (SCT) दिनांक अप्रैल 2013/02 मई, 2013 के साथ न्यायालय मुख्य आयुक्त निःशक्तजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, निःशक्तता कार्य विभाग के पत्र संख्या–F.No.-10413929/2007/R1535 दिनांक 04.03.2013 के माध्यम से निःशक्तजन हेतु परीक्षा केन्द्र में दी जाने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों में छात्र द्वारा मांगी गई उक्त सुविधाएं लगभग समाहित है।

उक्त तथ्यों के आलोक में प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छात्र को उक्त सुविधाएं परीक्षा केन्द्र में अनुमन्य करा दी जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा)

6. **विधि पाठ्यक्रम के तृतीय, चतुर्थ व षष्ठ सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा कराये जाने पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि डॉ0 ए0एस0 भटनागर, सदस्य, कार्यपरिषद/परीक्षा समिति ने अपने पत्र दिनांक 16.01.2014 के माध्यम से अवगत कराया है कि उक्त सेमेस्टरों के पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुके है तथा सत्र भी पहले से ही विलम्बित है। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए छात्रहित में एलएल0बी0 सेमेस्टर परीक्षाएं शीघ्र सम्पन्न कराने का अनुरोध किया है।

उक्त प्रकरण पर परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि एलएल0बी0 पाठ्यक्रम के तृतीय, चतुर्थ व षष्ठ सेमेस्टर की परीक्षाएं 31 जनवरी, 2014 से प्रारम्भ कर सम्पन्न करा ली जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (सेमेस्टर परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

7. **छात्र नेहा सिंह, सत्र 2010–11, कक्षा–बी0एससी0 द्वितीय वर्ष, अनुक्रमांक–0530617, अभिनव प्रज्ञा महाविद्यालय, फतेहपुर के प्रकरण पर विचार :–**

प्रकरण के सापेक्ष सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त छात्रा ने जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत बी0एससी0 द्वितीय वर्ष की अपनी तीन उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन हेतु अनुरोध किया था, किन्तु उत्तर पुस्तिका उपलब्ध न होने के कारण उसे औसत अंक प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया था। किन्तु छात्रा ने उसे अस्वीकृत कर दिया था और अनुतोष हेतु माननीय राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था। माननीय आयोग के समक्ष छात्रा ने औसत अंक प्रदान किए जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छात्रा को सम्बन्धित प्रश्नपत्रों में औसत अंक प्रदान कर दिए जाय।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (अतिगोपनीय)

अन्त में मा0 कुलपति जी ने सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।

(प्रो० अशोक कुमार)
कुलपति

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव